अनुदान संख्या 84 – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
GRANT No. 84 - MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	19686,29,00		19686,32,00	19266,45,25	-419,86,75
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					252,36,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
प्रभारित–	*Charged -*			10,00,00	..	-10,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					8,00,00
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	160471,61,00		176848,53,00	170523,42,50	-6325,10,50
पूरक	Supplementary	16376,92,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					6004,32,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	16677.00			
			14128.00	13070.48	-1057.52
पु.	R.	-2549.00			
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़क तथा पुल	Roads and Bridges				
मू.	O.	537646.00			
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	26800.00	564448.00	556725.24	-7722.76
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	O.	89236.00			
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-33795.00	55442.00	52398.63	-3043.37
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को अनुदान सहायता	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1268000.00			
			1281952.00	1281950.90	-1.10
पु.	R.	13952.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislatures				
मू.	O.	57070.00	27426.00	22500.00	-4926.00
पु.	R.	-29644.00			

(I) ₹9165.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(I) Provision of ₹9165.00 lakhs remained wholly unutilized in two cases under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "3055" – "अनुसंधान – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्त पोषित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड" – ₹2500.00 लाख राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के लिए प्रस्तावों और मसौदा नियमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

(A) Major Head "3055" - "Research - National Road Safety Board financed from Central Road and Infrastructure Fund" - ₹2500.00 lakhs - due to non-finalization of proposals and draft rules for National Road Safety Board.

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान – दिल्ली में सड़कें" – ₹6665.00 लाख – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन न होने के कारण थे।

(B) Major Head "3602" - "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislatures - Grants from Central Road and Infrastructure Fund - Roads in Delhi" - ₹6665.00 lakhs - due to non-allocation of funds to States/Union Territories from Central Road and Infrastructure Fund.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय" – ₹3606.52 लाख की बचत (₹16677.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, मंहगाई भत्ता का स्थिरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने, कम बैठकों का आयोजन किए जाने और राष्ट्रीय राजमार्ग औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से कम दावों की प्राप्ति होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Road Transport and Highways" - saving of ₹3606.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16677.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance, less tours undertaken, conduction of less meetings, receipt of less claims from National Highway Industrial Development Corporation Limited and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "3054" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य – केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से वित्त पोषित स्वच्छता कार्य योजना" – ₹3916.16 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "सामान्य – अनुसंधान और विकास – राजमार्ग अनुसंधान – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्त पोषण" – ₹4463.20 लाख की बचत (₹7900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3055" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "सामान्य" –

(क) "सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कीम" – ₹3502.81 लाख की बचत (₹17436.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्त पोषित सड़क सुरक्षा" – ₹10506.13 लाख की बचत (₹17100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू एवं कश्मीर से उपयोग प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति न होने, राज्य सरकारों से कम मांग होने और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा स्कीम पर रोक लगाए जाने के कारण हुई।

(ग) "केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्त पोषित निरीक्षण और रखरखाव केन्द्र" – ₹1814.86 लाख की बचत (₹2900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र

(III) Under Major Head "3054" - savings occurred under the following heads:-

(A) "National Highways - Road Works - Swachhta Action Plan (SAP) financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹3916.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs); and

(B) "General - Research and Development - Highway Research - funding from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹4463.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7900.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from executing agencies.

(IV) Under Major Head "3055" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Research" -

(a) "Scheme for Safety of Women on Public Road Transport" - saving of ₹3502.81 lakhs (against the sanctioned provision ₹17436.00 lakhs) was due to requirement of less funds by State/UTs and National Informatics Centre for vehicle tracking platform.

(b) "Road Safety financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹10506.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17100.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from J & K, less demand from State Governments and stay on the scheme by Madras High Court.

(c) "Inspection and Maintenance Centre financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹1814.86 lakhs (against the sanctioned provision

से लेखा परीक्षा और संचालन के चालान की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

₹2900.00 lakhs) was due to non-receipt of invoices of audit and operation from Inspection & Certification Centre.

(घ) "केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्त पोषित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार और सुदृढ़ीकरण" – ₹5839.73 लाख की बचत (₹8900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण की अधिक आवश्यकता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त न होने की वजह से परियोजना की निविदा न किए जाने के कारण हुई।

(d) "Improving and Strengthening of Public Transport System financed from Central Road Infrastructure Fund" - saving of ₹5839.73 lakhs (against the sanctioned provision ₹8900.00 lakhs) was due to non-tendering of project owing to high requirement of viability gap funding and non-receipt of Detailed Project Report (DPR).

(खा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखे को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹13400.00 लाख की बचत (₹35900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Transfers to Reserve Funds/Deposits Accounts - Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹13400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35900.00 lakhs) was due to non-formation of National Road Safety Board.

(V) मुख्य शीर्ष "3602" – "बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(V) Under Major Head "3602" - "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislatures" - savings occurred under the following heads: -

(का) "केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान – जम्मू एवं कश्मीर में सड़कें" – ₹12595.00 लाख की बचत (₹20535.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(A) "Grants from Central Road and Infrastructure Fund - Roads in Jammu and Kashmir" - saving of ₹12595.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20535.00 lakhs); and

(खा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखे को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹14822.00 लाख की बचत (₹28535.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Transfers to Reserve Funds/Deposits Accounts - Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹14822.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28535.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से संघ राज्य क्षेत्रों को कम निधियों का आबंटन किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to allocation of less funds to Union Territories from Central Road and Infrastructure Fund.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹488.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत थीं।

(VI) Under one head saving of ₹488.00 lakhs occurred constituting 37 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹27565.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि फरवरी, 2021 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹27565.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in February, 2021 under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "3054" –

(क) "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य – रखरखाव" – ₹13392.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹14050.10 लाख था।

(ख) "सामान्य – आरक्षित निधियों/जमा लेखे को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को एकमुश्त अनुदान" – ₹13400.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹13399.50 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3055" – "अनुसंधान – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्त पोषित राष्ट्रीय डेटा आधारित नेटवर्क" – ₹773.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹725.16 लाख था।

(A) Major Head "3054" -

(a) "National Highways - Road Works - Maintenance" - ₹13392.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14050.10 lakhs.

(b) "General - Transfers to Reserve Funds/ Deposits Accounts - Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - ₹13400.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13399.50 lakhs.

(B) Major Head "3055" - "Research - National Data Base Network financed from Central Road and Infrastructure Fund" - ₹773.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹725.16 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) "केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान – राज्य सड़कों के लिए अनुदान" – ₹6974.90 लाख का अधिक व्यय (₹634000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखे को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹6976.00 लाख का अधिक व्यय (₹634000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States" - under the following heads: -

(A) "Grants from Central Road and Infrastructure Fund - Grants for State Roads" - excess of ₹6974.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹634000.00 lakhs): and

(B) "Transfers to Reserve Funds/Deposits Accounts - Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - excess of ₹6976.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹634000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से राज्यों को अधिक निधियों का आबंटन होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to allocation of more funds to States from Central Road and Infrastructure Fund.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total Appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5054"	Major Head "5054"				
सड़क और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	*O.*	*1000.00*	*200.00*	..	*-200.00*
पु.	*R.*	*-800.00*			

(I) *₹1000.00 लाख* का *विनियोग "राष्ट्रीय राजमार्ग– सड़क निर्माण कार्य – सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य"* के अंतर्गत एक मामले में प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹1000.00 lakhs* remained wholly unutilized in one case under "National Highways - Road Works - Work under Roads Wing" - due to non-receipt of proposals.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹632510.50 लाख) सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1637692.00 लाख के पूरक अनुदान का 39 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹632510.50 lakhs) constituted 39 percent of the supplementary grants of ₹1637692.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021and 4 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	678000.00			
पू.	S.	497000.00	..	..	..
पु.	R.	-1175000.00			
मुख्य शीर्ष "5054" सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	15365161.00			
पू.	S.	1140692.00			
पु.	R.	577468.00	17083321.00	17051258.78	-32062.22
मुख्य शीर्ष "5055" सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5055" Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	4000.00	1100.00	1083.72	-16.28
पु.	R.	-2900.00			

(I) ₹1175000.00 लाख का प्रावधान (₹497000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष "4552" – "राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क तथा सेतु) – सड़क निर्माण कार्य" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत चार मामलों में अप्रयुक्त रहाः–

(I) Provision of ₹1175000.00 lakhs (including supplementary grant of ₹497000.00 lakhs) remained wholly unutilized in four cases under Major Head "4552" - "National Highway (Roads & Bridges) - Road Works" - under the following heads: -

(का) "सड़क स्कंध और बीआरडीबी के अंतर्गत सड़क विकास कार्य" – ₹46000.00 लाख;

(A) "Road Development Work under Roads Wing and BRDB" - supplementary provision of ₹46000.00 lakhs;

(खा) "पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹451000.00 लाख का पूरक प्रावधान;

(B) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas" - supplementary provision of ₹451000.00 lakhs;

(गा) "राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्त पोषित सड़क स्कंध और सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सड़क विकास कार्य"– ₹318000.00 लाख; और

(C) "Road Development Works under Roads Wing and Border Road Development Board financed from National Investment Fund" - ₹318000.00 lakhs; and

(घा) "पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्तपोषित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹360000.00 लाख।

(D) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas financed from National Investment Fund" - ₹360000.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "5054" – "राष्ट्रीय राजमार्ग–सड़क निर्माण कार्य – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित बिना विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारें" – ₹19465.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹7846.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹27311.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹15736.05 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) उपयोग प्रमाण–पत्र की प्राप्ति न होने की वजह से दमन तथा दीव एवं दादर और नागर हवेली और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों को कम जारी किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5054" - "National Highways - Road Works - Union Territory Governments without Legislatures financed from Central Road and Infrastructure Fund" - the original provision of ₹19465.00 lakhs was augmented to ₹27311.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹7846.00 lakhs. However, there was a saving of ₹15736.05 lakhs (including supplementary grant) - due to less release of funds to Union Territories of Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Ladakh owing to non-receipt of utilization certificates.

(III) मुख्य शीर्ष "5054" – "राष्ट्रीय राजमार्ग–सड़क निर्माण कार्य – राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य" – ₹2675793.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹358650.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3034443.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹262546.45 लाख की सीमा तक जनजातीय मामले मंत्रालय के निर्देश के तहत नए सृजित एनएचओ – जनजातीय उप–योजना को निधियों का अंतरण किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "5054" - "National Highways - Road Works - National Highways Original Works" - the original provision of ₹2675793.00 lakhs was augmented to ₹3034443.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹358650.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹262546.45 lakhs - due to transfer of funds to newly created head NHO - Tribal Sub-Plan as per directions of Ministry of Tribal Affairs and requirement of less funds towards various projects.

(IV) मुख्य शीर्ष "5054" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग" –

(क) "स्थायी सेतु – राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी सेतु शुल्क निधि से वित्तपोषित कार्य" – ₹1800.96 लाख की बचत (₹1832.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस स्कीम के अंतर्गत नए कार्य न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "सड़क निर्माण कार्य" –

(i) "सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य" – ₹118956.88 लाख की बचत (₹347613.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों के बंद होने, प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने और कुछ परियोजनाओं में कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ii) "केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित स्कीमों से संबंधित अन्य राजमार्ग" – ₹72107.15 लाख की बचत (₹191600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय राजमार्ग परस्पर संपर्क सुधार परियोजना स्कीम के बंद होने और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कारिडोर परियोजना के लिए निधियों का अंतरण होने और कुछ परियोजना में कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – वामपंथी अतिवादी प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क (राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य सड़कें) विकास के लिए विशेष कार्यक्रम" – ₹5478.63 लाख की बचत (₹32000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू कार्यों के धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "5054" - savings occurred under the following heads:-

(A) "National Highways" -

(a) "Permanent Bridges - Work Financed from National Highways Permanent Bridges Fees Fund" - saving of ₹1800.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1832.00 lakhs) was due to non-taking up of new work under the scheme.

(b) "Road Works" -

(i) "Work under Roads Wing" - saving of ₹118956.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹347613.00 lakhs) was due to closure of schemes, receipt of less proposals and slow progress of work in some projects.

(ii) "Other Highways related schemes financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹72107.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹191600.00 lakhs) was due to closure of National Highways Interconnectivity Improvement Project scheme and transfer of funds to Green National Highways Corridor Project (GNHCP) and slow progress of work in some projects.

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Special Programme for Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas" - saving of ₹5478.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32000.00 lakhs) was due to slow progress of ongoing works.

(खा) "सामान्य – आरक्षित निधियों/जमा लेखे को अंतरण" –

(क) "राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रीकरण को अंतरण" – ₹298800.00 लाख की बचत (₹1025000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रीकरण से कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण" – ₹378000.00 लाख की बचत (₹678000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय निवेश निधि में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "5055" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "कार्यशाला सुविधा – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित निरीक्षण तथा अनुरक्षण केन्द्र"– ₹1466.28 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सड़क सुरक्षा के लिए कम उपकरण की अधिप्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंचरना निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹1450.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर लेखा अंतरण के कारण हुई।

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹905300.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "5054" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹1140692.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग" –

(B) "General - Transfers to Reserve Funds/ Deposits Accounts"-

(a) "Transfer to Monetization of National Highways Fund" - saving of ₹298800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1025000.00 lakhs) was due to less receipt from Monetization of National Highways Fund.

(b) "Transfer to National Investment Fund" - saving of ₹378000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹678000.00 lakhs) was due to reduction in National Investment Fund by the Ministry of Finance.

(V) Under Major Head "5055" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Workshop Facilities - Inspection and Maintenance Centre financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹1466.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to procurement of less equipments for road safety.

(B) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹1450.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to inter-account transfer.

5.(I) The above savings were partly (₹905300.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹1140692.00 lakhs under Major Head "5054" under the following heads: -

(A) "National Highways" -

(क) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" – ₹92850.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹92782.58 लाख था।

(a) "Investment in Public Sector & Other Undertakings - National Highways Authority of India" - ₹92850.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹92782.58 lakhs.

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित जनजातीय उप–योजना" – ₹314000.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹313935.53 लाख था।

(b) "Tribal Area Sub-Plan - National Highways Original Works - Tribal Sub-Plan financed from Central Road and Infrastructure Fund" - ₹314000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹313935.53 lakhs.

(ग) "आरक्षित निधियों/जमा लेखे को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹497000.00 लाख।

(c) "Transfers to Reserve Funds/Deposits Accounts - Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - ₹497000.00 lakhs.

(खा) "सामान्य – आरक्षित निधियों/जमा लेखे को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण" – ₹1450.00 लाख।

(B) "General - Transfers to Reserve Funds/ Deposits Accounts - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - ₹1450.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "5054" – "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:–

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5054" - "National Highways - Road Works" under the following heads: -

(का) "पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹494366.19 लाख (शून्य प्रावधान की तुलना में) का अधिक व्यय हुआ; और

(A) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas" - excess of ₹494366.19 lakhs (against nil provision); and

(खा) "पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्तपोषित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹299297.60 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas financed from National Investment Fund" - excess of ₹299297.60 lakhs (against nil provision).

अधिक व्यय उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4252" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

5. *केंद्रीय सड़क निधिः–*

इस निधि का वित्त पोषण कर लगाए गए मोटर स्पिारिट (विमानन स्पिीरिट को छोड़कर) पर लगाए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क से प्राप्त) आय के एक भाग (3.5 पैसे प्रति लीटर) द्वारा किया जाता है जिसे संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों के रूप में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। 2000–2001 के बजट प्रावधान के अनुसार सड़कों के विकास और रख–रखाव के लिए 2 जून, 1998 से पेट्रोल पर और 1 मार्च, 1999 से हाई स्पीवड डीजल पर 1/– रु. प्रति लीटर का अतिरिक्त, कर लगाया जा रहा है। यह अतिरिक्त निधि पुनःसंशोधित केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार केंद्रीय सड़क निधि को अंतरित की जाती है और इस निधि के संकल्पि के अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान में से सड़कों के विकास और अनुसंधान स्कीमों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी की जाती है।

5. ***Central Road Fund:-***

The fund is financed from part (3.5 paise per litre) of the proceeds of Union Excise and Customs Duties levied on taxed motor spirit (other than aviation spirit) credited to the Consolidated Fund of India by way of grants voted by Parliament. As per the budgetary provisions of 2000-2001 an additional tax of ₹ 1/- per litre has been levied on Petrol with effect from 2nd June, 1998 and High Speed Diesels with effect from 1st March, 1999 for the development and maintenance of roads. The additional fund is transferred to Central Road Fund in accordance with revamped Central Road Fund Act, 2000 and releases are made from the Fund to State Governments and Administration of Union Territories for development of roads and research schemes out of grant voted by Parliament in accordance with the resolution of this Fund.

वर्ष 2020–2021 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2020-2021 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	3372,94,48
प्राप्तियां	Receipts	182363,46,60
अदायगियां	Payments	181132,19,00
अंतशेष	Closing Balance	4604,22,08

6. ***राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी सेतु शुल्क निधिः–***

ये शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ऐसे स्थायी सेतुओं जिनकी प्रत्येक की लागत ₹25.00 लाख से अधिक और ₹100.00 लाख तक है और जो 1 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद परन्तु मार्च, 1992 की पहली तारीख से पहले यातायात के लिए खोल दिए गए थे, का उपयोग करने वाले यंत्रचालित वाहनों पर लगाए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ₹100.00 लाख से अधिक की लागत वाले

6. ***National Highways Permanent Bridges Fees Fund :-***

The fees are levied on mechanically propelled vehicles using permanent bridges on National Highways which cost more than ₹25.00 lakhs and upto ₹100.00 lakhs for each and were built and opened to traffic on or after 1st April, 1976 but before the first day of March, 1992 and thereafter all the bridges costing more than ₹100.00 lakhs on National

सभी पुलों पर लगाए जाने वाले शुल्क के संग्रहण के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उगाहे गए शुल्कों से होने वाली आय पहले भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से भारत के लोक लेखे में "राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि" को अंतरित कर दिया जाता है। संग्रहित राशि के संग्रहण प्रभार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन (12 प्रतिशत पर) को देय होते हैं जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों द्वारा निधि में से भी उपलब्ध कराया जाता है। शेष निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

Highways, shall be notified separately for levy of fee collection. The proceeds from the fees which are collected in the States and Union Territories Governments are initially credited to the Consolidated Fund of India. These are transferred to the "National Highways Permanent Bridges Fees Fund" in the Public Accounts of India out of grants voted by Parliament. Collection charges payable to State Governments and Administration of Union Territories (at 12 percent) of the amount collected are also made out of fund by way of grants voted by Parliament. The balance in the Fund is utilized for development of National Highways.

वर्ष 2020–21 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2020-2021 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	283,88,52
प्राप्तियां	Receipts	11518,32,00
अदायगियां	Payments	11500,00,00
अंतशेष	Closing Balance	302,20,52